न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान भाषीणा

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 34 / 2025

निर्णय दिनांक : 30.06.2025

जीसीएमएस संख्या– 2025 / 77

1. लिछमा कंवर पत्नी मुकनसिंह जाति राजपूत निवासिनी ग्राम गेडाप तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

................प्रार्थिनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थिनी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थितः–

1. श्री रमेश कुमार बिस्सु अधिवक्ता प्रार्थिनी।

2. अप्रार्थिनी राजपैरोकार।

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि रोही ग्राम गेडाप तहसील सुजानगढ़ की स्थायी निवासी है जिसके रोही ग्राम गेडाप तहसील सुजानगढ़ में खेत खाता संख्या 183 के खसरा संख्या 1217 / 159 रकबा 0.5184 है0, खसरा संख्या 1221 / 132 रकबा 2.4657 है0 व खसरा संख्या 1223 / 782 रकबा 3.3382 हैक्टर कुल तीन खसरे रकबा 6.3223 हैक्टेयर खातेदारी में दर्ज स्थित है। प्रार्थिनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में ज्यानकंवर पत्नी मुकनसिंह दर्ज है जबकि प्रार्थिनी का सही व वास्तविक नाम लिछमा कंवर पत्नी मुकन सिंह है। समस्त अन्य दस्तावेजों में भी प्रार्थिनी का सही नाम लिछमा कंवर पत्नी मुकन सिंह ही दर्ज है।

प्रार्थिनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थिनी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थिनी की खातेदारी भूमि में प्रार्थिनी का नाम दुरस्त करवाना प्रार्थिनी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार [illegible]गढ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर [illegible]दन किया कि रोही ग्राम गेडाप के खातेदार ज्यानकंवर पत्नी मुकनसिंह जाति राजपूत [illegible]सी गेडाप के जन आधार, राशनकार्ड, पहचान पत्र, पैनकार्ड, आधारकार्ड आदि में लिछमा [illegible]वर पत्नी मुकनसिंह राजपूत है जो सही है। अतः प्रार्थिनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में ज्यानकंवर के स्थान पर लिछमा कंवर किये जाने की अभिशंषा की जाती है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जन आधार, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैनकार्ड, आधारकार्ड आदि में भी प्रार्थिनी का नाम में लिछमा कंवर पत्नी मुकन सिंह अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–ःआदेशः–

प्रार्थिनी का प्रार्थना–पत्र पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा कैम्प स्थान भाषीणा में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि वाके रोही ग्राम गेडाप तहसील सुजानगढ़ में खाता संख्या 183 के खसरा संख्या 1217/159 रकबा 0.5184 है0, खसरा संख्या 1221/132 रकबा 2.4657 है0 व खसरा संख्या 1223/782 रकबा 3.3382 हैक्टर कुल तीन खसरे रकबा 6.3223 हैक्टेयर खातेदारी में दर्ज खातेदार ज्यानकंवर पत्नी मुकनसिंह के स्थान पर लिछमा कंवर पत्नी मुकन सिंह दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को टंकित करवाया जाकर पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा कैम्प स्थान भाषीणा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़